मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2009/06.07.2009 **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि- 11.08.2009**

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल** के अंतर्गत **सहायक यंत्री (सिविल)** के पदों हेतु इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम/ विभाग का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				विकलांग आरक्षण	विकलांगता का प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
			अना-रक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना-रक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	सहायक यंत्री, (सिविल), अस्थायी, लोक निर्माण विभाग	60	30	10	12	08	09	03	04	02	कुल 03 (01 अनारक्षित, 01 अनुसूचित जाति, 01 अ.पि.व.)	अस्थि बाधित	भारत के किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किसी भी अभियांत्रिकी संस्था का सिविल में उपाधि धारक है। **अथवा** इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इण्डिया, कोलकाता से प्राप्त समकक्ष प्रमाण पत्र।
02.	सहायक यंत्री (सिविल), स्थायी, म.प्र. गृह निर्माण मंडल	02	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	भारत के किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किसी भी अभियांत्रिकी संस्था का सिविल में उपाधि धारक है। **अथवा** इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इण्डिया, कोलकाता से प्राप्त समकक्ष प्रमाण पत्र।

टीप- 1. आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

2. किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

3. शासन द्वारा पदों की संख्या पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

4. चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

दो- पद का विवरण :-

(अ) **पद का नाम-** सहायक यंत्री (सिविल)

(ब) **विभाग का नाम-** लोक निर्माण विभाग तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल

(स) **श्रेणी- राजपत्रित** (द्वितीय श्रेणी) कार्यपालिक।

(द) **वेतनमान-** रुपये 8000-275-13500

तीन- 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित प्रविष्टि, करें।

चार- आयु सीमा- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। आयु संगणना की तिथि 01.01.2010 होगी। आयु सीमा में अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।

मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारी (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ देय होगा।

पांच- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता-

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्रर्हित नहीं होगा।

छः महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। **चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।**

सात- चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुणा के अनुपात में आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग प्रत्याशियों को अंकों में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और उनके लिए लिखित परीक्षा में कम से कम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किंतु यदि किसी प्रकरण विशेष में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आयोग को न्यूनतम अंक की यह शर्त शिथिल करने का अधिकार होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। **परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।** परीक्षा तिथि एवं समय सारिणी यथा समय रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र तथा उक्त वेबसाइटों पर प्रसारित की जायेगी।

आठ- आवेदन प्रक्रिया- उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाईन जमा किए जा सकेंगे। आनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

नौ- प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया- अर्हताधारी आवेदकों द्वारा अपने प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्रों की उपलब्धता की सूचना उक्त वेबसाइटों के अतिरिक्त समाचार माध्यमों से भी दी जाएगी।

दस- परीक्षा केन्द्र- लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :-

परीक्षा केन्द्र		कोड
भोपाल	-	01
ग्वालियर	-	02
इंदौर	-	03
जबलपुर	-	04

उम्मीदवार द्वारा भरे गए स्थान के अनुसार केन्द्र आवंटित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा भरा गया परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जाये। आयोग परीक्षा केन्द्र की क्षमता एवं प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा। आवेदक आवेदन पत्र भरते समय अपने परीक्षा केन्द्र का सावधानीपूर्वक चयन करें। एक बार भरा गया परीक्षा केन्द्र बदला नहीं जाएगा। परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र ले जाना वर्जित है।

ग्यारह- प्रत्येक उम्मीदवार से एक पद के लिये केवल एक ही आवेदन पत्र प्रविष्टि स्वीकार की जाएगी। किसी उम्मीदवार के **एक से अधिक आवेदन पत्र की प्रविष्टि प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं।**

बारह- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

तेरह- अधिकतम आयु सीमा में छूटों, के लिए परिशिष्ट-1

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी के लिए परिशिष्ट-2 तथा

लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

सचिव

परिशिष्ट-1

(एक)- उच्चतम आयु सीमा में छूटें-

1. भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट विधवा परित्यक्ता महिलाओं को तथा अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदिकाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।

3. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

टीप- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। पद की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

4. मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। यह छूट परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

5. ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

6. ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।

दो- प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें-

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1,

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप-

(1) परिशिष्ट-एक (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट- उपरोक्त एक (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के अन्तर्गत **सहायक यंत्री (सिविल)** के पद हेतु आवेदन पत्र, www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in वेबसाइटों पर भरे जा सकते हैं इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं -

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे -
   1. https://www.mponline.gov.in
   2. www.mppsc.com
   3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदन पत्र वेबसाइट https://www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाईन उपलब्ध है। आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाईन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं
3. आवेदक स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाईन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
4. mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची https://www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
5. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाईन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्केनिंग की सुविधा है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
6. ऑनलाईन आवेदन भरने के दौरान आवेदक को चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
7. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
8. आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाईन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
9. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop-up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें।
10. **शुल्क विवरणः-**

1. मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के आवेदक हेतु शुल्क-

(अ)	आवेदन शुल्क तथा परीक्षा शुल्क	-	90 रुपये
(ब)	पोर्टल शुल्क	-	40 रुपये
	कुल		**130 रुपये**

2. अन्य सभी श्रेणियों एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु शुल्क-

(अ)	आवेदन शुल्क तथा परीक्षा शुल्क	-	180 रुपये
(ब)	पोर्टल शुल्क	-	40 रुपये
	कुल		**220 रुपये**

11. **आवेदन पत्र में दोनों पदों के संदर्भ में अग्रमान्यता की प्रविष्टि अनिवार्यतः करें। आवेदक का पदों के संदर्भ में विचारण उसके द्वारा भरे गये अग्रमान्यता क्रम में किया जाएगा तथा उस पद हेतु उसे विचारित नहीं किया जाएगा जिसके लिए अग्रमान्यता अंकित नहीं की गयी है।**
12. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में साम्यता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

निम्न आवश्यक प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्युलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय जाति का स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम का लगा जाति प्रमाणपत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।**

विकलांगता प्रमाण पत्रः-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त नवीनतम (Latest) चिकित्सा प्रमाण पत्र। (विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही विकलांग श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक)(3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक) (4) से (6) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो) (1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो) (2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो) (3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

टीप- आयोग को प्राप्त आवेदन शुल्क तथा परीक्षा शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापस किया जा सकेगा (पोर्टल शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा)-

I. यदि आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये, अथवा

II. यदि किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 11.8.2009** है। अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

नियोक्ता की अनापत्ति -

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अनुशासनिक निर्देश-

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिसे आयोग में निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा/साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण (इम्परसोनेशन) कराया हो/किया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. चयन में किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
6. परीक्षा/साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
7. परीक्षा/साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी -

(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(ii) राज्य शासन द्वारा या/तथा उनके अधीन नियोजन से।

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। परंतु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि-

(i) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

अनर्हताएँ:-

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

यात्रा व्यय का भुगतान-

(अ) लिखित परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के आवेदक, जो किसी सेवा में न हों, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान (मध्यप्रदेश की सीमा तक), वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भर कर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के स्वयं के अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जाएगा।

(ब) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त वर्ग के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

सचिव

परिशिष्ट-3

Proposed Scheme of Examination

Written Examination for the Post of Assistant Engineer Civil

The Written Examination will be totally objective type (Multiple choice questions) each question will have 4 probable answers grouped under A, B, C and D, out of which only one will be the correct answer. The candidate is required to record in the answer sheet A, B, C or D as may be adjudged by them to be the correct answer.

2. Total number of question will be 100, each of 02 Marks total numbers of marks will be 200 and duration of examination 2 hrs.
3. 20% of the questions set shall be calculation based numerical questions, objective type (Multiple choice type).
4. Paper will be only in English.
5. The qualifying marks for candidates belonging to General Category is 40% & for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class is 30%.
6. Interview : Interview will carry 25 marks. There will be no qualifying minimum marks for interview but for the final selection minimum 40% marks will be required in total (i.e. total of Written examination and interview) for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class candidates, this qualifying marks will be 30%.
7. Final merit list will be made category wise on the basis of total marks obtained in Written Examination + Interview.
8. Candidates eligible for interview will be in the ratio of vacancies x 3 + equal marks, category wise.

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

पाठ्यक्रम

WRITTEN EXAMINATION FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER CIVIL

SYLLABUS

CIVIL ENGINEERING

1. Structural Engineering -

Stresses and strains in axial, bending, shear & torsional actions; Combined stresses and strains, Analysis of determinate structures, Calculations of deflections by Moment Area theorems, Conjugate Beam method, Castigliano's theorem and Virtual work method. Analysis of indeterminate structures by stiffness and flexibility matrix methods, Theorem of least work, Method of consistent deformation, Moment distribution, Slope deflection, Kani's method and Column analogy method. Influence lines for determinate and indeterminate structures.

2. Concrete, Masonry & Steel Structures :-

Working stress and Limit state methods of design of R.C.C. structural elements. Design of prestressed concrete beam, Design of masonry wall, Design of steel-tension and compression, members, design of beams, columns, simple connections and base plate design, design of plate girders and gantry girders. Plastic design of beams and frames. Design of R.C.C. & Steel bridges.

3. Geotechnical Engineering :-

Soil classifications, soil structure & clay mineralogy, permeability, capillarity, seepage, stress distribution in soils, compaction, compressibility and consolidation, shear strength. Site investigation. Earth pressures, retaining walls, stability of slopes, bearing capacity and settlement analysis, selection of foundation for dams, bridges in different geologic terrain, principles of design of shallow and deep foundations. Piles and caissons, Cofferdams, Elements of machine foundation, Engineering classification of rocks.

4. Fluid Mechanics and Hydrology :-

Continuity, momentum and energy equations, Water hammer, pipe flow, principles of modeling, hydrologic cycle, unit hydrograph, flood estimation and routing. Irrigation and Water-power Engineering- Design of Canals, Headworks, Cross-drainage works, Dams, Spillways, Water logging, Water conductor systems, Pumps and Turbines. Ground water recharge necessity methods of improving ground water storage.

5. Environmental Engineering :-

Estimation of ground & surface water resources, quality of water from different sources, demand & quantity of water, water requirement for various uses, fluctuation in demand, forecast of population. Impurities of water & their significance. Intake structure, conveyance of water, pipe materials, pumps, operation of pumping stations. Water Treatment methods-sedimentation, coagulation, filtration & disinfection, aeration & water softening, water quality aspects, affects & treatment methods for Fluoride, Iron & Nitrate in water. Advanced waste water treatment, aerobic & anaerobic treatment processes, sampling & preservation, solid waste, waste disposal methods, recycling of solid waste and its management.

Modern trends in sedimentation, filtration, miscellaneous method of treatment. Urban & rural water supply schemes financing & management of water supply projects.

6. Surveying

Theodolite traverse, Curves, Tachometric surveying, Triangulation, Geodetic adjustment, Theory of Errors, Aerial photogrammetry, Cadastral survey. Use of G.I.S. and Remote sensing, Total station, use of E.D.M. Hydrographic surveying-sounding, method of observations, computation and plotting.

7. Transportation :

Transportation planning, Design of flexible and rigid pavements, Traffic Management, Pavement Evaluation and strengthening.

8. Construction, planning and Management:-

Building estimate and specifications, rate analysis, current schedule of rates, valuations, contract conditions and agreement, Construction scheduling, C.P.M., P.E.R.T. and other techniques. Machinery-Mixtures, Excavators, Vibrators etc.

9. Building Planning, Design & Drawing, Materials & Construction :

Planning, Designing & Preparation of drawings. Open space requirements, orientation, lighting & ventilation. Conventional construction materials, plywood, laminates, adhesives, plastic & paints and Polymer based material.

Construction of building components- staircase, doors, windows, plastering and painting.

10. Basics of Computer :

Number system : Binary Number system, Octal Number system, Hexadecimal Number system, Converting from one Number system to another, Primary storage, Secondary storage, Input-Output Devices, Flow Charts, Basic Knowledge of Computer Languages, Internet basics, Internet Protocols, IP Addresses, E-Mail, World Wide Web, Web browsing.

Important Note :- *Paper setter should set 20% questions, which are calculation based, numerical questions of objective types (Multiple choice type).*

G-14225/1239/2009